



مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

सं. मानू/ शैक्षिक /मि.24/2018-19/99

दिनांक- 03 जनवरी 2019

आदेश

विषय - रैर्गिंग विरोधी दस्ते (मुख्य कैपस) के गठन के संबंध में।

संदर्भ - कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 18.1.2018 को अनुमोदन।

यू.जी.सी के "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैर्गिंग अपराध निषेध विनियम, 2009" के अनुसरण में, अनुच्छेद 6.3(सी) के अंतर्गत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुख्य कैपस के लिए रैर्गिंग विरोधी दस्ते का गठन किया गया है:-

पदन अध्यक्ष	
सदस्य	संयुक्त कुलानुशासक
सदस्य	डॉ. पठान रहीम खान, सहायक प्रोफेसर- हिन्दी एवं वार्डन, बालक छात्रावास
सदस्य	डॉ. समीना कौसर, सहायक प्रोफेसर- अरबी एवं वार्डन, बालिका छात्रावास
सदस्य	डॉ. ज़ेड.अब्दुल रहीम, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलीटेक्नीक एवं उप-कुलानुशासक, बालक
सदस्य	डॉ. विकारुल्लिसा, सहायक प्रोफेसर- शिक्षण एवं प्रशिक्षण व सहायक कुलानुशासक, बालिका
सदस्य	डॉ. पी. सरत चन्द्रा, सहायक प्रोफेसर, पॉलीटेक्नीक, हैदराबाद

रैर्गिंग विरोधी दस्ता निम्नलिखित के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा :-

- क. छात्रावासों तथा संवेदनशील स्थानों पर होने वाली रैर्गिंग की घटनाओं को रोकने हेतु अचानक छापेमारी करने के लिए और ऐसी जगहों का निरीक्षण करने हेतु दस्ते को और सशक्त होना चाहिए।
- ख. संस्थान के प्रमुख या संकाय के किसी भी सदस्य या विश्वविद्यालय के किसी भी हितधारक द्वारा संदर्भित रैर्गिंग की किसी भी घटना की माँके पर जांच करना।
- ग. कोई अन्य जुड़ा हुआ कर्तव्य।

रैर्गिंग विरोधी दस्ते के कार्यकाल की अवधि शैक्षिक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तक के लिए या अतिरिक्त आदेश आने तक होगी।

मुख्य मिसिल
कुलसचिव

सेवा में
सभी सदस्यों को

प्रति :

1. कुलपति के निजी सचिव;
2. कुलसचिव के निजी सचिव;
3. निदेशक, सीआईटी- यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु;
4. संबंधित मिसिल।
5. जनसंपर्क अधिकारी/ हिन्दी अधिकारी- उर्दू/ हिन्दी अनुवाद हेतु।